न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0–43/2021–22

मैथ्यू जितेन्द्र मालतो बनाम् रैयान मौजा–एजगोगा

–: आदेश :–

31.03.2023

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक मैथ्यू जितेन्द्र मालतो, पे0–स्व0 पाउल सुभाष मालतो, सा0–कुसुमघाटी, थाना–राजाभीठा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–एजगोगा नं0–7P के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक–99/रा0 दिनांक–13.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–एजगोगा नं0–7P प्रधानी मौजा है। पंजी–II में पूर्व प्रधान का नाम सुरजा पहाड़िया, पे0–मैसा पहाड़िया दर्ज है, जो निःसंतान मृत है। आवेदक एवं पूर्व प्रधान के बीच चाचा–भतीजा का संबंध है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने, पूर्व प्रधान के वंशज होने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–एजगोगा नं0–7P का ग्राम प्रधान मैथ्यू जितेन्द्र मालतो को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह0) 31.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(ह0) 31.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 12:41:37 +05:30
Location: 192.168.1.33

F/Order.